(229)

(353)

निग० 5313/2018/रीवा/भू.रा.

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म०प्र०ग्वालियर सर्किटकोर्ट रीवाम०प्र०

20रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 विलोपित/विलोपित 5रु. COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 विलोपित/विलोपित 5रु. COURT FEE पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

(1) शिवलाल कोल पिता मालिक कोल

(2) झल्लाकोल पिता मालिककोल

(3) शिवरामकोल पिता मालिक कोल

तीनों निवासी ग्राम वार्ड क्र. 43 बडौरा टोला बदरांव तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० -- निगराकारगण

बनाम्

शासन म०प्र० --गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक गण की ओर से श्री राजविश्राम लिये एड. द्वारा पेश। 31.8.18

31.8.18

कार्ड ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा का अपील प्रकरण क्र. 1405/अपील/2015-16 आदेश पारित दिनांक 4/5/2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्न है:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह हैकि निगरानीकर्तागण शिवलाल कोल वगैरह के द्वारा म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959ई०की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बदरांव तहसील हुजूर जिलारीवा म०प्र०की भूमि खसरा नं० 399/3 रकबा 0.097 हे० , 457/1/3 रकबा 0.101 हे०, कुल रकबा 0.198हे०, में से अंश रकबा 0.144 हे० भूमि को विक्रय करने की अनुमति चाही गई कलेक्टर साहब ने दिनांक 9/8/2016को आवेदन पत्र

(229)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग०/5313/२०/2018 जिला– रीवा

शिवलाल कोल विरूद्ध म.प्र.शासन

(1)	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री राजनिवास सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1405/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 4-5-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 31-8-2018 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

की अनुमति चाही गई कलेक्टर साहब ने दिनांक 9/8/2016का आवेदन पत्र